① ⑥

R-559-II/13

समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर

श्री विनायम एसोसियेट
द्वारा आनंद मोहन पिता कृष्ण मुरारी नायक
साकिन परकोटा वार्ड सागर .... आवेदक

विरूद्ध

गगन पिता कैलाश नारायण जैसवाल
चांदनी पिता कैलाश नारायण जैसवाल
प्रमिला बेबा कैलाश नारायण जैसवाल
निवासी मनोरमा कालोनी सागर
तह. व जिला सागर .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्र.क्र. 155 अ/70 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31.12.12 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार सागर के सीमांकन आदेश दिनांक 16.7.12 से परिवेदित होकर अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टायी निरस्त किये जाने योग्य है।

(3)

श्री विनायक एसोसियेट / गगन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-559-~~III~~/13 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-6-18	आवेदक अभि० श्री अजय श्रीवास्तव उप०। आवेदक अभि० द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया गया है अब उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद नही है इस कारण प्रकरण में आगे कार्यवाही नही चाहते है अत: प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाए। आवेदक अभि० ~~का~~ निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है सदस्य	इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाये। 15/6/2018

[कृ. प. उ.